



केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  
Central Zoo Authority

मि.सं. 13-4/2006- के.चि.प्रा(खण्ड - VIII) / 4808/2018

दिनांक 26-11-2018

सेवा में,

श्री विनय कुमार पाण्डेय,  
C/o प्रसाद कम्प्यूटर्स, एल बी एस एम कालेज,  
नियर ईस्ट पाइंट स्कूल, पीओ हरहरगुट्ट,  
पी.एस बगबेरा - 831 002 (झारखंड)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना बावत।

संदर्भ :- आपके के पत्र दिनांक 06.10.2018 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत।

महोदय,

कृपया उक्त पत्र का संदर्भ ले। जिसमें आप के द्वारा जनवरी 2018 से 2 अक्टूबर, 2018 तक के पत्र व्यवहार की छाया प्रति मांगी गयी थी, इन पत्रों की छाया प्रति आपको कार्यालय के पत्रांक दिनांक 17-10-2018 द्वारा प्रेषित की गयी है। फिर भी आपके द्वारा मांगी गयी ईमेल एटेचमेंट की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है और जो निम्नलिखित प्रकार से है :-

S.No	Query	Answer
क	25 सितम्बर तक के ही पत्राचार की दस्तावेज भेजी गई है। क्या 26.09.2018 के बाद किसी भी तरह का कोई भी पत्राचार नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	इस विषय में यह अवगत किया जाता है कि प्राधिकरण का टाटा जू के साथ 26-09-2018 से आजतक कोई भी पत्राचार नहीं हुआ है। इसके के सिर्फ ZIM की रिपोर्ट ही टाटा जू से प्राप्त हुई है।
ख	कुछ पत्रों के क्रमांक संख्या देखकर यह अनुमान हो रहा है कि कुछ पत्र गायब है और उसके स्थान पर दोहरी छायाप्रति भेज दी गई है। उदाहरण स्वरूप (ref. email dated 26.09.2018) से संबन्धित कोई संलग्न दस्तावेज उपलब्ध कराई नहीं गई है।	26-09-2018 को भेज गये ईमेल में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का एक पत्र संलग्न करके भेजा गया है जोकि रिसस मकाक के बाड़े की drawing के बारे में है और इस की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की गयी है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रविन्द्र सिंह रावत)  
जन सूचना अधिकारी